Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत् विकास

(झारखंड के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-3

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: JHPM20

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत् विकास

(झारखंड के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–3

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 87501 87501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

JPSC DLP विषय सूची (Contents)

18. योजनागत रणनीति एवं विकेंद्रीकृत योजना **5–28**

18.1 नियोजन के उद्देश्य 5

18.2 भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएँ 6

18.3 नीति आयोग 21

18.4 विकेंद्रीकृत योजना 23

19. नव आर्थिक सुधार एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण **29–79**

19.1 आर्थिक सुधार 29

19.2 उदारीकरण 35

19.3 विश्व व्यापार संगठन 37

19.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 55

19.5 विश्व बैंक समूह 60

19.6 वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 66

19.7 विदेशी निवेश 69

20. वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के सुधार **80–126**

20.1 वाणिज्यिक बैंक 80

20.2 सहकारी बैंक 84

20.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 85

20.4 वित्तीय समावेशन 87

20.5 स्वयं-सहायता समूह व विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका 98

20.6 बुनियादी ढाँचे हेतु वित्तीय संस्थान 102

20.7 परिसंपत्ति 103

20.8 गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या से निपटने के उपाय 105

20.9 दिवाला और दिवालियापन संहिता 110

20.10 त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई 115

20.12 बैंकिंग सुधार 120

21. कृषि क्षेत्र में सुधार तथा विकास पर इसका प्रभाव **127–139**

21.1 सहायिकी 127

21.2 कृषि सब्सिडी 129

21.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य 133
21.4 कृषि पर होने वाला सार्वजनिक निवेश 135
21.5 कृषि संकट 136
22. कंपनी एवं पूंजी बाज़ार **140–187**
22.1 कंपनी 140
22.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 151
22.3 पूंजी बाज़ार 156
22.4 स्टॉक एक्सचेंज 159
22.5 बीमा 165
22.6 कमोडिटी बाज़ार 174
22.7 वायदा बाज़ार 175
22.8 डेरिवेटिव्स का परिचय 177
22.9 भारत में साझा कोष 178
22.10 साख निर्धारण 180
22.11 शब्दावली 182
23. भारत में औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधार **188–222**
23.1 औद्योगिक क्षेत्र का महत्त्व 188
23.2 औद्योगिक नीतियाँ 189
23.3 औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग 193
23.4 औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 195
23.5 विशेष आर्थिक क्षेत्र 199
23.6 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 203
23.7 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण ज़ोन 204
23.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 205
23.9 तटीय आर्थिक क्षेत्र 211
23.10 औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम 212
23.11 सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश और निजीकरण 218
24. झारखंड में भूमि, वन एवं पर्यावरण **223–244**
24. 1 झारखंड में भूमि सुधार 223
24.2 वन मुद्दे एवं वन अधिकार अधिनियम 230
24.3 पर्यावरण निम्नीकरण 234
24. 4 झारखंड बजट, 2020-21 235

अध्याय
18

योजनागत रणनीति एवं विकेंद्रीकृत योजना (Planning Strategy and Decentralization planning)

आर्थिक नियोजन का अर्थ है- स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को 'समवर्ती सूची' (सातवीं अनुसूची) का विषय बनाया गया है।

18.1 नियोजन के उद्देश्य *(Objectives of Planning)*

- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना;
- संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना;
- निर्धनता एवं बेरोज़गारी को दूर करना;
- आधारभूत ढाँचे का विकास करना;
- कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना;
- सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- राजनीतिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना;
- आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण;
- निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना;
- तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ समावेशी विकास पर बल।

नियोजन के प्रकार *(Types of Planning)*

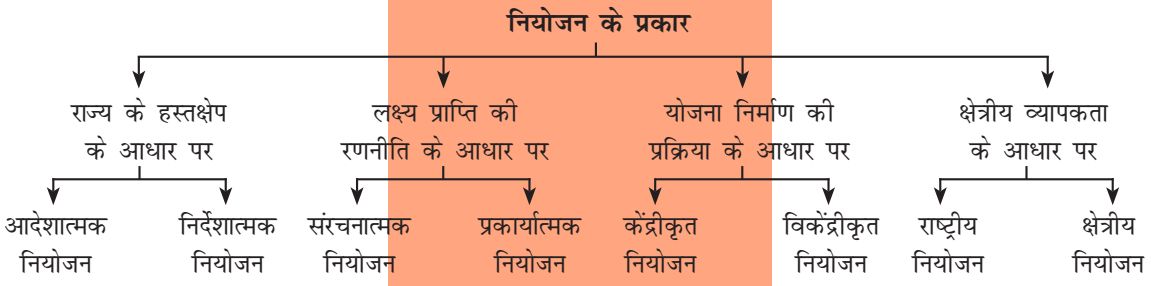

राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर *(On the Basis of State Intervention)*

आदेशात्मक नियोजन (Imperative Planning)

आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है, जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिये इसे 'केंद्रीकृत नियोजन' भी कहा जाता है।

निर्देशात्मक नियोजन (Indicative Planning)

निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक तथा परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है।

यह स्पष्ट है कि विकेंद्रीकरण को भारत में प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है और उसका एक प्रमुख माध्यम पंचायती राज को बनाया गया है साथ ही भारत सरकार द्वारा कई ऐसी पहलें की गयी है जिसके कारण विकेंद्रीकरण को मजबूती देते हुए विकास को केंद्रीयता प्रदान की जा सके और समय-समय पर विकेंद्रीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का निवारण करके सकारात्मकता प्रदान की जा रही है। इसके कारण सरकारी निजी स्थानीय प्रयासों से योजनाओं को सफतापूर्वक संपन्न किया जा सके।

परीक्षापयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 'तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर' ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002–07 तक रही।
- भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम. विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित 'Planned Economy of India' नामक पुस्तक में दिया गया।
- 1 जनवरी, 2015 से योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग' ने जगह ले ली है।
- योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष 'नरेंद्र मोदी' थे।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना 'पी.सी. महालनोबिस मॉडल' पर आधारित थी।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 'तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास' था।
- योजना आयोग के सदस्य 'डॉ. एस.पी. गुप्ता' की अध्यक्षता में 'इंडिया विजन 2020' तैयार किया गया।
- श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गाँधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था।
- भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण 1950 में जयप्रकाश नरायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना की संज्ञा दी गई।
- नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है।
- भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 'हेरॉड-डोमर संवृद्धि मॉडल' पर आधारित थी।
- भारत में अब तक दो बार योजना अवकाश तथा एक बार अनवरत योजना की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष 'राजीव कुमार' तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'अमिताभ कांत' हैं।
- नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष 'नरेंद्र मोदी' हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. "तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर" निम्न में से किस योजना का लक्ष्य था? **6th JPSC (Mains)**
   (a) नौवी पंचवर्षीय योजना
   (b) दसवीं पंचवर्षीय योजना
   (c) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना
   (d) इनमें से कोई नहीं।
2. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन-सा बिंदु सत्य हैं? **6th JPSC (Pre)**
   (a) 8 प्रतिशत वास्तविक जी.डी.पी. विकास दर
   (b) 4 प्रतिशत कृषि विकास दर
   (c) प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10 प्रतिशत तक कम करना
   (d) उपर्युक्त सभी।
3. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में एक गरीबी निवारण था, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? **3rd JPSC (Pre)**
   (a) आत्मानिर्भरता की प्राप्ति
   (b) कृषि विकास की उच्च-दर की प्राप्ति
   (c) विकास के लाभों का समान वितरण
   (d) आय व संपत्ति का समान वितरण
4. दसवीं-पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? **1rd JPSC (Pre)**
   (a) 2001–06
   (b) 2002–07
   (c) 2003–08
   (d) 2004–09

5. बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   (a) समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण
   (b) समावेशी एवं धारणीय विकास
   (c) बेरोज़गारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास
   (d) तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास
6. बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष-
   (a) 1969 में (b) 1975 में
   (c) 1977 में (d) 1980 में
7. प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी?
   (a) प्रौद्योगीकरण
   (b) नगरीकरण
   (c) कृषि का विकास
   (d) शिक्षा का प्रसार
8. नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया?
   (a) 1 अप्रैल, 1951 से
   (b) 15 अगस्त, 1947 से
   (c) 26 जनवरी, 1950 से
   (d) 1 मई, 1965 से
9. द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
   (a) सोलो मॉडल (b) डोमर मॉडल
   (c) रॉबिंसन मॉडल (d) महालनोबिस मॉडल
10. भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
   (a) 1950 (b) 1947
   (c) 1948 (d) 1951

उत्तरमाला

1. (c) 2. (d) 3. (a) 4. (b) 5. (d) 6. (b) 7. (c) 8. (a) 9. (d) 10. (d)

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पर टिप्पणी कीजिये। **3rd JPSC (Mains)**
2. भारत में बहुस्तरीय नियोजन की अवस्थाओं का वर्णन कीजिये। **2nd JPSC (Mains)**
3. "योजना आयोग के लिये, 12वीं योजना प्रलेख में स्वास्थ्य पर अध्याय का परिशोधन करने की तुरन्त आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये।
4. चल योजना को समझाइये।
5. भारत सरकार की नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
6. परिचायक आयोजन एवं लक्ष्य आयोजन में क्या अंतर है? आठवीं पंचवर्षीय योजना को आप किसमें रखेंगे?
7. कृषि क्षेत्रक के विशेष संदर्भ में भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिये।
8. ग्रामीण निर्धनता कम करने के लिये पंचवर्षीय योजना में किये गए उपायों का विवेचन कीजिये।
9. भारत में विकेंद्रीकृत योजना का तार्किक आधार क्या है? इस प्रकार की योजना में जो अवरोध आ खड़े होते हैं, उनका विवेचन कीजिये।

अध्याय
19

नव आर्थिक सुधार एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण (New Economic Reforms and Globalization of Indian Economy)

वर्ष 1991में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह नेअपने बजट भाषण में कहा था, "दुनिया की कोई शक्ति उस विचार को अब रोक नहीं सकी, जिसका वक्त आ गया है। वक्त नए आर्थिक सुधारों का है।" 1991 से लेकर आज तक सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, वह अपने एजेंडे में आर्थिक सुधारों में एक उपलब्धि तथा विकासवादी कदम की तरह संजोकर चलती आ रही है। भारतीय अर्थव्यस्था में नवउदारवाद का प्रवेश के दशक में हुआ, इसके बाद आर्थिक विकास के नाम पर भारत समेत अन्य विकासशील देशों पर नए नियम व शर्तें लादे जाने का सिलसिला भी शुरू किया गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के द्वार खुल जाने से कुछ वर्गों की आय में चमत्कारी वृद्धि देखी गई। देश के अंदर विदेशी कंपनियों के आगमन से कुछ नौजवानों को रोज़गार भी मिला। बीओपी, टेलीकाम समेत अन्य निजी क्षेत्र के बाज़रों ने इसी दौरान भारत के अंदर अपने पैर पसारने शुरू किये। इसी दौरान बाज़ार के साथ ही ग्लोबल राजनीति को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को नियम कानूनों से मुक्त करने, वैश्विक व्यापार को उदार बनाने तथा अर्थव्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप घटाकर एक वैश्विक बाज़ार बनाने का निश्चय किया गया। कारण है कि समकालीन अर्थशास्त्रियों ने भी उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की प्रक्रिया को विकास का पर्याय बताने में देरी नहीं की।

19.1 आर्थिक सुधार *(Economic Reforms)*

नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों की आवश्यकता की व्याख्या, निम्न बिंदुओं के आलोक में आवश्यक हो गई थी:

- गैर-समावेशी (Non-Inclusive) तथा गैर-विकासात्मक (Non-Developing) खर्चों के कारण सरकार के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) में अत्यधिक वृद्धि।
- भुगतान शेष [निर्यात (X)–आयात (M)] की प्रतिकूल स्थिति।
- कीमतों में अत्यधिक वृद्धि।
- 1990-91 के खाड़ी संकट (Gulf Crisis) के कारण पेट्रोल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि।
- 1990-91 में भारत के विदेशी विनिमय कोष में अत्यधिक कमी।
- सार्वजनिक उद्योगों का खराब प्रदर्शन।

आर्थिक सुधार इस मान्यता पर आधारित थे कि सरकारी नियंत्रण की अपेक्षा बाज़ार की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था को समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ाकर ले जा सकती हैं। साथ ही संसार के अन्य अल्पविकसित देशों, जैसे- कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर आदि ने उदारीकरण के फलस्वरूप ही तेज़ी से आर्थिक विकास किया है।

1991 से आर्थिक सुधार *(Economic Reforms Since 1991)*

वर्ष 1991 में आर्थिक संकटों का सामना करने के लिये एवं उच्च आर्थिक संवृद्धि दर प्राप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किये गए। औद्योगिक नीति, 1991 में तीव्र और व्यापक बदलाव किये गए। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कर एवं अन्य नीतियों में भी बदलाव लाया गया।

- 1990 के दशक की शुरुआत में उत्पन्न भुगतान संतुलन संकट से निपटने के संदर्भ में नई आर्थिक नीतियाँ केवल आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिये ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च संवृद्धि दर की प्राप्ति के लिये भी लाई गई थीं। आर्थिक क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करने के लिये व्यापक सुधार किये गए।
- भारतीय नीति-निर्माताओं ने 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना आरंभ कर दिया तथा 1980 के दशक की खराब आर्थिक परिस्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया। अत्यधिक नियंत्रण एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्मुखी स्वरूप को बदला जाने लगा। विचारधारा के स्तर पर बिना कोई बड़ा बदलाव किये आर्थिक नीतियों को बदला जाने लगा।

अध्याय
20

वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के सुधार
(Financial and Banking Sector Reforms)

अर्थव्यवस्था मे दक्षता बढ़ाने के लिये एक दक्ष वित्तीय क्षेत्र अति महत्त्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से विगत 50 वर्षों में, शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं को उनके बैंकों द्वारा हमेशा सामर्थ्यपूर्ण सहायता मिलती रही है। बड़ी अर्थव्यवस्था को भारतीय बैंकों के विकास करने में सहायता करने हेतु दक्ष बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता है। चूँकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पीएसबी (सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक) का बाज़ार हिस्सा 70 प्रतिशत हैं इसलिये भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता करने की ज़िम्मेदारी तथा इसके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना भी इन पर निर्भर करता है। वित्तीय अंतर्मध्यस्थता के महत्त्वपूर्ण अनुपात हेतु उत्तरदायी है विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ परंपरागत बैंकिंग क्षेत्र घुसने में सक्षम नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु वित्तीय प्रणाली पर नरसिंहम समिति, दामोदरन समिति, रतन वाटल समिति आदि का गठन किया जा चुका है।।

20.1 वाणिज्यिक बैंक*(Commercial Banks)*

वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है-

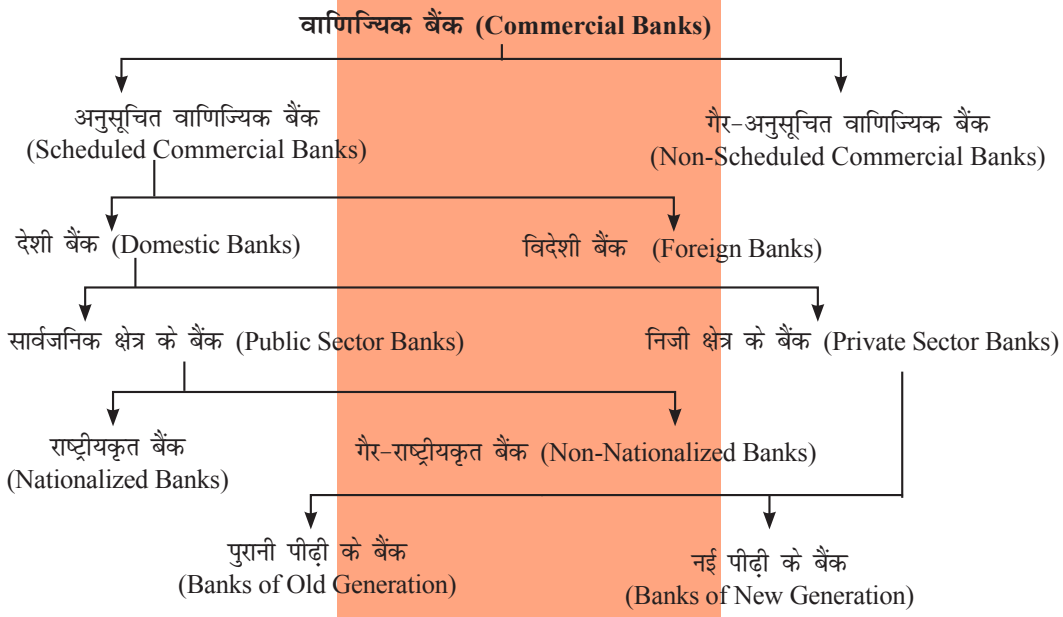

- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Banks):** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करना होता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं।

  भारतीय रिज़र्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में केवल उन्हीं बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं-

  - बैंक की पूंजी और संचित कोष में ₹ 5 लाख से अधिक राशि होनी चाहिये।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिये कि बैंक के सभी क्रियाकलाप जमाकर्त्ताओं के हित में होंगे।

अध्याय
21

कृषि क्षेत्र में सुधार तथा विकास पर इसका प्रभाव
(Reform in Agriculture and its Impact on Development)

भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य देश को कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के उत्पादन पर निर्भर करना है। भारत में यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। रोज़गार अवसरों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण जनता अपनी आजीविका के लिये मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहती है। इसमें 82% किसान लघु एवं सीमांत हैं।

विकास में समावेशता का उद्देश्य ग्रामीण विकास पर बल देते हुए प्राप्त करना होगा जहाँ कृषि इसे बेहतर रूप से कर सकती है। सरकार द्वारा किसानों की आयको दुगुना करने के लिये, आय सहायक स्कीम, फसल बीमा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों से लेकर कृषि विपणन सुधारों जैसे अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

21.1 सहायिकी *(Subsidy)*

किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवसाय को सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभ को सब्सिडी कहा जाता है। यह आमतौर पर एक नकद भुगतान या कर कटौती के रूप में दी जाती है।

सब्सिडी क्यों? *(Why Subsidy?)*

- व्यक्तियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
- इसे अक्सर आर्थिक, सामाजिक या आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया जाता है।
- अधिकतर सब्सिडी कमजोर उद्योगों के क्षेत्रों की मदद करने के लिये सरकार द्वारा दी जाती है।
- यदि किसी क्षेत्र में नुकसान अधिक हो रहा है, तो सरकार उन क्षेत्रों की मदद कर उसमें सुधार लाने की कोशिश करती है। यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक बढ़ जाती है तो सरकार लोगों को सब्सिडी देकर उस वस्तु की कीमत को कम कर देती है।

सब्सिडी कैसे प्रदान की जाती है? *(How is Subsidy Provided?)*

- सब्सिडी अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप में प्रदान की जाती है।
- जब कोई सब्सिडी नगद भुगतान के रूप में प्रदान की जाती है, तो वे सब्सिडी प्रत्यक्ष सब्सिडी मानी जाती है।
- कोई भी गैर-नकद लाभ की सहायता को अप्रत्यक्ष सब्सिडी माना जाता है, जैसे कि कर में छूट एवं कम ऋण में ब्याज देना आदि।

सब्सिडी की गणना कैसे? *(How to Calculate Subsidy?)*

- भारत में प्रदान की जाने वाली सब्सिडी बहुत सारे तथ्यों पर विचार करते हुए प्रदान किया जाता है।
- सब्सिडी में ऋण की ब्याज दर, राशि, कुल लागत, उत्पाद एवं सरकार संबंधी कार्यों में होने वाले व्यय को मिलाकर सरकार एक फार्मूले के द्वारा सब्सिडी की राशि तय करती है।

सब्सिडी के प्रकार *(Types of Subsidy)*

सब्सिडी के प्रकार निम्नलिखित हैं-

- **उत्पादन सब्सिडी (Production Subsidy):** जब किसी उत्पाद को बेचा या आयात और उत्पादित किया जाता है तब उस पर उत्पादन सब्सिडी दी जाती है।
- **परिवहन सब्सिडी (Transport Subsidy):** सरकारी परिवहनों पर जो सब्सिडी दी जाती है, उसे परिवहन सब्सिडी कहा जाता है।

अध्याय
22

कंपनी एवं पूंजी बाज़ार
(Company and Capital Market)

भारत के लोग देश को आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिये वे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्द्धी क्षमता को बढ़ते देखना चाहते हैं। उनकी इस आकांक्षा में सरकार विभिन्न कानूनों के माध्यम से अपनी यथोचित भूमिका का निर्वहन कर रही है। ठोस विनियमन के माध्यम से कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सुशासन, प्रबंधन, तकनीक तथा लोगों का विश्वास हासिल कर भारतीय कंपनियाँ विश्व में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती हैं। वे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोज़गार सृजन कर रही हैं। अवेस्टाज़ेन, फ्लिपकार्ट, फोर जी, आइडेंटिटी सॉल्यूशन, एएनआई टेक्नोलॉजी, बंधन फाइनेंसिंग सर्विसेज, फिनोलेक्स, फोर्ब्स मार्सल, जस्ट डॉयल, मेक माई ट्रिप जैसी भारतीय कंपनियाँ न केवल तेज़ी से विकास कर रही हैं बल्कि वे विश्वस्तरीय पहचान भी बना रही हैं। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 24 मई, 2017 को प्रकाशित विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, आईटीसी, एचपी तथा पावर ग्रिड ऑफ इंडिया शामिल हैं तो यह उनकी कड़ी मेहनत, गुणात्मक प्रबंधन एवं उनके प्रति लोगों के भरोसे का ही प्रतीक है। इस सूची में चीन का सरकारी बैंक 'आईसीबीसी' प्रथम स्थान पर रहा जबकि 'चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक' दूसरे स्थान पर रहा। दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने औद्योगिक माहौल अस्थिर होने के बावजूद शेयरधारकों के लिये अधिकतम धन अर्जन किया है। कंपनी ने 2016-17 की अवधि में अपने शेयरधारकों को 85 रुपए प्रति शेयर का लाभांश दिया है जिसमें 55 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम तथा 30 रुपए प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया।

22.1 कंपनी *(Company)*

किसी प्रकार के व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन कंपनी कहलाती है। 'कंपनी' लैटिन शब्द कॉमपेनिस (Companis) से बना है। यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो कॉम (Com) का अर्थ एक साथ जबकि पेनिस (Panis) का तात्पर्य रोटी (Bread) से होता है। यह कुछ व्यक्तियों के समूह के लिये उपयोग किया जाता था जो एक साथ बैठकर खाना खाते थे। व्यापारिक संदर्भ में कंपनी का तात्पर्य कानूनी रूप से गठित इकाई (Legal Entity) से है। यह सामान्यत: इसके सदस्यों से स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और वाणिज्यिक कार्य का संचालन करती है।

यदि साधारण शब्दों में कहें तो कंपनी कुछ व्यक्तियों के समूह के अलावा और कुछ नहीं है। ये व्यक्ति कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिये साथ आते हैं और धन का योगदान करते हैं। वे इसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अपने-आपको एक विशिष्ट कानूनी प्रारूप 'कंपनी' के रूप में शामिल करते हैं। भारत में अब किसी कंपनी का गठन एवं पंजीकरण **कंपनी अधिनियम, 1956** के स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया जाता है।

कंपनी के लक्षण *(Characteristics of a Company)*

- **स्वतंत्र कानूनी इकाई (Separate Legal Entity):** एक कंपनी की इसके सदस्यों से अलग एक विशिष्ट कानूनी पहचान होती है।
- **सीमित दायित्व (Limited Liability):** शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।
- **निरंतर उत्तराधिकार (Perpetual Succession):** किसी कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों पर निर्भर नहीं करता है। कंपनी के सदस्य आते-जाते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं लेकिन इससे कंपनी की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- **स्वतंत्र संपत्ति (Separate Property):** कंपनी एक स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है। यह स्वयं अलग संपत्ति धारण करती है। कंपनी के अस्तित्व में रहने तक कोई भी कंपनी की संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है।

अध्याय
23

भारत में औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधार
(Industrial Development and Economic Reforms in India)

भारत में ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास को गहरा धक्का लगा। इसलिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजकों ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिये औद्योगीकरण की आवश्यकता को समझा। किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसके आर्थिक विकास का मापक होता है, क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहाँ एक ओर नए रोज़गार एवं आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है।

किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के निर्धारण में उद्योग एक निर्णायक भूमिका निभाता है। जीवीए में अपने योगदान के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सुधार हुआ है। हालाँकि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किये गए सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र के वास्तविक जीवीए में वर्ष 2018-19 के पूर्वार्द्ध (अप्रैल-सितंबर) में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में निम्न वृद्धि का प्राथमिक कारण विनिर्माण क्षेत्र है जिसने वर्ष 2019-20 के पूर्वार्द्ध में 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की।

औद्योगिक क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित

क्षेत्र	स्थिर कीमतों पर जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)		वर्तमान कीमतों पर जीवीए का हिस्सा (प्रतिशत) में
	2017-18	2018-19 (P)^	2019-20 (1st AE)^
खनन एवं खदान	5.1	1.3	1.5
विनिर्माण	5.9	6.9	2.0
बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	8.6	7.0	5.4
निर्माण	5.6	8.7	3.2
उद्योग	5.9	6.9	2.5

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)। P^: अनंतिम प्राक्कलन

भारत में औद्योगिक उदारीकरण दो रूपों में शुरू हुआ। पहला, लाइसेंस एवं निवेश प्रतिबंधों में छूट दी गई तथा दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश को बढ़ावा दिया गया। आर्थिक सुधारों से पूर्व 18 उद्योगों को विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित किया गया था। अब केवल पाँच उद्योगों को ही लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। आर्थिक उदारीकरण आरंभ करने से पहले दो प्रमुख कानूनों एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 [Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969] जो बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा निवेश करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता था और दूसरा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 [Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1973] जो कि चालू खाता के साथ-साथ पूंजी खाते पर भी विदेशी मुद्रा विनिमय पर कठोर प्रतिबंध लगाता था, को अब ज़्यादा उदार संस्करण यानी प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 [Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999] के रूप में बदल दिया गया है। 1991 में आर्थिक सुधार शुरू करने के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिये कई उदार उपाय किये गए।

23.1 औद्योगिक क्षेत्र का महत्त्व *(Importance of Industrial Sector)*

- उद्योग आर्थिक संवृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिये आवश्यक होता है।
- उद्योग रोज़गार के नए-नए अवसरों का सृजन करने में सहायक होते हैं।

अध्याय
24

झारखंड में भूमि, वन एवं पर्यावरण
(Land, Forest and Environment in Jharkhand)

24. 1 झारखंड में भूमि सुधार *(Land Reforms in Jharkhand)*

झारखंड की अर्थव्यवस्था उद्योग एवं कृषि पर आधारित है। चूँकि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में भूमि अधिकांश लोगों के लिये आजीविका का साधन है, इसलिये इस क्षेत्र के सुधार से अधिकतर लोग लाभान्वित होंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें असमानता व्याप्त थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में ही इस बात की घोषणा की थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भूमि सुधार लागू किये जाएगे। अतः भूमि सुधार के तीन मुख्य उद्देश्य थे –

- कृषि में विद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना, जिन्होंने कृषि उत्पादन को बाधित किया है, जैसे –जोत क्षेत्र के आकार, भूमि स्वामित्व, भूमि उत्तराधिकार, काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों की समाप्ति, आधुनिक संस्थागत सहायता तथा आधुनिकीकरण।
- भूमि सुधार के अन्य उद्देश्य का संबंध सामाजिक–आर्थिक असमानता से था। भूमि स्वामित्व में व्याप्त असमानता का नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा तथा यह जाति–व्यवस्था एवं समाज द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा एवं दर्जा से भी जुड़ा हुआ था। 80 प्रतिशत से अधिक लोगों की जीविका इस कृषि व्यवस्था पर आधारित थीं। सरकार इस भूमि स्वामित्व को संरचना को तर्कसंगत और लोक कल्याणकारी बनाना चाहती थी। भूमि सुधार का सामाजिक–राजनीतिक महत्त्व इसलिये था, क्योंकि इसने पुरानी कृषि–व्यवस्था को विघटित करने का प्रयास किया। देश में भूमि सुधार एक बड़ा मुद्दा बन गया तथा सरकार द्वारा भूमि को कब्जे में लेने तथा उसे भूमिहीनों को आवंटित करने के कारण इसे बदनामी भी मिली।
- भूमि सुधार का तीसरा उद्देश्य प्रकृति से समसामयिक था, जिसे पर्याप्त सामाजिक–राजनीतिक महत्त्व नहीं मिला। इसका उद्देश्य, कुपोषण तथा खाद्यान्न की कमी को कृषिगत उत्पादन में वृद्धि कर दूर करना था।

भमि सुधार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा तीन मुख्य कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत कई आंतरिक लघु उपाय भी शामिल थे–

- **मध्यस्थों की समाप्तिः** इस कदम के अंतर्गत लंबे अरसे से चली आ रही जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया।
- **काश्तकारी सधारः** इस कदम के अंतर्गत निम्नांकित तीन कार्य किये गए –
  - लगान का नियमनः जोतदारों के द्वारा भूमि मालिक को दिए जाने वाले लगान की एक दर नियत कर दी गई।
  - बटाईदारों के हितों की रक्षाः जमीन जोतने वाले (बटाईदार) का जोत का अधिकार सुरक्षित रहे, इसकी संस्थागत व्यवस्था की गई।
  - काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकारः काश्तकारों/बटाईदारों को अंत में उनके द्वारा जोते जा रहे जमीन का स्वामी बनाने की कोशिश की गई।
- **कृषि का पुनर्गठनः** इस कदम के अंतर्गत कृषि सुधार के लिये निम्नांकित तर्कसंगत प्रावधानों को शामिल किया गया–
  - भूमि का पुनर्वितरणः हदबंदी कानून लागू कर भूमिहीन गरीब लोगों के बीच भूमि का पुनर्वितरण।
  - सहकारी कृषिः यह कृषि का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आधार था तथा इसका उपयोग बड़े किसानों द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिये किया गया।

संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–11 की प्रविष्ट सं. 18 में ये वर्णित है कि भूमि और भूधृतिया आदि पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। राज्य में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य समानतावादी सामाजिक संरचना प्राप्त करना, भूमि संबंधों में शोषण को समाप्त करना, कृषक को भूमि के चिरकालीन लक्ष्य की प्राप्ति करना, ग्रामीण गरीबों के भूमि आधार को बढ़ाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और स्थानीय संसाधनों में समानता की अवधारणा को अवप्रेरित करने हेतु भूमि संबंधों को पुनः व्यवस्थित करना है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation